

क्रमांक : सहायता / 2025 / 528
प्रेषित:-

दिनांक: 24 / 07 / 2025

श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय
आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
जयपुर

विषय :- मानसून सत्र 2025 में बाढ़ / अतिवृष्टि से मानव क्षति के
संबंध में बजट आवंटन करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मानसून वर्ष 2025 में विभिन्न दुर्घटनाओं के प्रकरणों में डूबने से मृत्यु होने से निम्न मृतकों के आश्रितों का सहायता हेतु आवेदन इस कार्यालय के डीएमआईएस पोर्टल पर प्राप्त हुए हैं। निम्नांकित प्रकरणों में इस कार्यालय द्वारा एसडीआरएफ मद से ऑनलाइन डीएमआईएस पोर्टल पर बजट डिमाण्ड D/OREL/2025/09019 दिनांक 20.07.2025 से कर दी गयी है। किन्तु निम्नांकित प्रशासनिक स्वीकृति में क्षति का विवरण अंकित ना होने से कारण बजट डिमाण्ड रिवर्ट कर दी गयी है। अतः निम्नानुसार क्षति का विवरण अंकित कर पत्र निम्न प्रकरणों में बजट आवंटन हेतु प्रेषित है।

क.स	आवेदक का नाम	आवेदन संख्या	बजट डिमाण्ड संख्या	क्षति का प्रकार	क्षति का विवरण
1	गुडडी बाई पुत्री गोविन्द	अर्जुन पुत्र परसराम निवासी खेडा जगपुरा तहसील लाडपुरा	09019 / 20. 07.2025	बाढ़	तहसीलदार लाडपुरा के पत्रांक 303-304 दिनांक 18.07.2025 द्वारा बाढ़/अतिवृष्टि से पानी में डूबने से हुई मृत्यु हेतु सहायता राशि
2	मुखलेश पुत्र रामनाथ	आशु पुत्र रविन्द्र मेघवाल चेनपुरा तहसील लाडपुरा	09019 / 20. 07.2025	बाढ़	तहसीलदार लाडपुरा के पत्रांक 295-296 दिनांक 17.07.2025 द्वारा बाढ़/अतिवृष्टि से पानी में डूबने से हुई मृत्यु हेतु सहायता राशि
3	लाडबाई पुत्री घनश्याम	धर्मराज पुत्र भीमराज निवासी जाखोडा तहसील लाडपुरा	09019 / 20. 07.2025	बाढ़	तहसीलदार लाडपुरा के पत्रांक 297-298 दिनांक 17.07.2025 द्वारा बाढ़/अतिवृष्टि से पानी में डूबने से हुई मृत्यु हेतु सहायता राशि
4	अंजु मेघवाल पुत्र रामरतन	पांचूलाल पुत्र रामकरण नीमोदा तहसील दीगोद	09019 / 20. 07.2025	बाढ़	तहसीलदार दीगोद के पत्रांक 590-591 दिनांक 20.07.2025 द्वारा बाढ़/अतिवृष्टि से पानी में डूबने से हुई मृत्यु हेतु सहायता राशि

प्रभारी अधिकारी (सहायता अनुभाग)
एवं अति० जिला कलक्टर(सीलिंग)
कोटा

[illegible]

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

इस राशि का व्यय निम्न बजट मद से किया जायेगा :- 2245-02-111-(02)-[01]-12

जिला कलेक्टर
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
कोटा

प्रतिलिपि -निम्नान्वितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त,.....
3. जिला कलेक्टर, कोटा।
4. उपखंड अधिकारी
5. तहसीलदार
6. जिलासूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, कोटा।
7. रोकड़पाल (सहायता शाखा) कार्यालय हाजा

प्रभारी अधिकारी
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
कोटा

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by P. Jyush
Samariya
Date: 2025.07.09 11:42:44 IST
Reason: SelfAttested
Location:

